निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 280/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

रोहिताश पुत्र श्री छीतर जाति जाट निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती अरशदीप बरार पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेर ।
2. प्रभात पुत्र चन्द्र जाति जाट, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, पटवार हल्का जोधपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुरं।
3. जयकौर पत्नी छीतर
4. सांवल राम पुत्र छीतर

   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, पटवार हल्का जोधपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुरं।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष लम्बित प्रकरण संख्या 05/2021 ब उनवानी प्रभात बनाम जयकौर व अन्य को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थित:—

1. श्री सी॰ पी॰ बलाई अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र कुमार यादव अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 27.12.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष प्रकरण संख्या 05/2021 ब उनवानी प्रभात बनाम जयकौर व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी आमेर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार यादव उपस्थित है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि पूर्व में भी अप्रार्थी 2 प्रभात द्वारा अपनी राजनैतिक पहुंच व धनबल के दबाव में गैर तरीके से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की खातेदार भूमि में से विधि विरूद्व तरीके से रास्ता लेने के प्रयास करते हुये उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली को मैनेज करने का प्रयास किया, जिस पर प्रार्थी द्वारा समय रहते अप्रार्थी

जिला कलक्टर
जयपुर

संख्या 2 के कुत्सित प्रयासों की जानकारी होते ही स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त पत्रावली स्थानान्तरित करवाई और उक्त पत्रावली स्थानान्तरित होकर अप्रार्थी संख्या 1 के न्यायालय में विचाराधीन है। अप्रार्थी संख्या 2 ने पुनः अपनी राजनैतिक पहुंच व धनबल के आधार पर गैर कानूनी तरीके से प्रार्थी की खातेदारी भूमि में से रास्ता निकलवाने के लिये अप्रार्थी संख्या 1 को दबाव में ले लिया है और अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 2 के राजनैतिक रसुखात से प्रभावित हो कर उक्त पत्रावली में येनकेन प्रकारेण अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में निर्णय पारित करने के लिए पत्रावली की आदेशिका के विपरीत जाकर निर्णय पारित करने पर आमादा है। दिनांक 30.11.2022 को उपरोक्त प्रकरण में अप्रार्थी सख्या 2 ने प्रार्थी को कहा कि तू कुछ भी करले, अब मै रास्ता ले कर रहूंगा। आज से मेने परसों की तारीख ली है और परसों मेरे पक्ष में आदेश हो जायेगा। दिनांक 30.11.2022 की घटनाकम से प्रार्थी को पूर्ण अन्देशा हो गया कि अप्रार्थी संख्या 1 के यहां से उसे अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित कर दिया जायेगा और उसे उचित न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त मामले को अन्यत्र समकक्ष न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये कथन किया कि प्रकरण धारा 251 (क) आर टी ए के तहत विचाराधीन है। प्रकरण में न्यायिक प्रकिया के तहत कार्यवाही की जा रही है। चूंकि प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी पर आरोप लगाया है, इसलिए उक्त प्रकरण का अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है, तो कोई आपत्ति नहीं है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी आमेर के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर सहमत है। जयपुर मुख्यालय पर उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम का न्यायालय भी स्थापित है, जिसमें इस प्रकरण को अन्तरित किया जा सकता है। इससे पक्षकारान को असुविधा भी नहीं होगी। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. उप खण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 05/2021 ब उनवानी प्रभात बनाम जयकौर व अन्य को न्यायालय पर उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम में अन्तरण किया जाता है। पक्षकारान प्रकरण में अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 23.01.2023 को न्यायालयं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम में उपस्थित हो।

9. उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

सहा. कलक्टर
जयपुर

10. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्व कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक 27.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
अति. कलक्टर
जयपुर